



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय  
MAHATMA GANDHI ANTARRASHTRIYA HINDI VISHWAVIDYALAYA  
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)  
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त/Accredited with 'A' Grade by NAAC




डॉ. कृष्ण चन्द पाण्डेय  
Dr. Krishn Chand Pandey  
मुख्य छात्रावास अधीक्षक  
Chief Warden

110/सा.प./2023-24/09/73  
दिनांक : 25.04.2024

सूचना

विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूचना क्रमांक: 04A/प्र.प्र./Time Table/2023-24/1924 दिनांक 24.04.2024 के आलोक में सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के छात्रावासों में रहे (स्नातक एवं परास्नातक) के अन्तेवासी दिनांक 21 मई 2024 तक छात्रावास खाली करना सुनिश्चित करें।

  
(मुख्य छात्रावास अधीक्षक)

प्रति,

1. कुलसचिव कार्यालय
2. कुलानुशासक
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
4. मुख्य छात्रावास अधीक्षक
5. परिसर विकास
6. संबंधित समस्त छात्रावास अधीक्षक (आवश्यक कार्यवाही हेतु)
7. प्रभारी, लीला (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।)
8. सुरक्षा अधिकारी
9. संबंधित पत्रावली।